बिहार सरकार

स्वास्थ्य विभाग

अधिसूचना

सं0सं0–9/आ0–01–42/2016(स्वा0)...../ पटना, दिनांकः–.....

वरीय कोषागार पदाधिकारी, दानापुर के पत्राक–978 दिनाक–02.11 2015 द्वारा सूचित है कि डा0 अर्जुन प्रसाद साहू, उपाधीक्षक एव डा0 चद्रदीप कुमार, उपाधीक्षक द्वारा क्रमशः 64 विपत्रो के माध्यम से 2,79,50,000/– एवं 03 विपत्रो के माध्यम से 15,00,000/– रू० की अनियमित जी०पी०एफ० की निकासी किया गया है। संयुक्त सचिव, वित्त विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक–3672 दिनांक–04 05 2016 द्वारा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, दनियावां, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द, पालीगंज, पटना एवं रेफरल अस्पताल, पालीगंज मे कार्यरत निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी एवं लिपिक–सह–कोषागार सदेशवाहक द्वारा वित्तीय वर्ष 2010–11 से लेकर वित्तीय वर्ष 2015–16 में कार्यरत पदाधिकारी एवं कर्मियों का सामान्य भविष्य निधि खाते से अनियमित रूप से कुल रु0 4,31,68,000/–(चार करोड इकतीस लाख अडसठ हजार) रूपये मात्र की राशि निकासी कर गबन करने का आरोप प्रतिवेदित किया गया ।

2. डा0 चन्द्रदीप कुमार,, तत्कालीन उपाधीक्षक, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, पालीगंज व रेफरल अस्पताल, पालीगंज के विरूद्ध अधीनस्थ कार्यरत पदाधिकारी एवं कर्मियो के भविष्य निधि खाते से अनियमित रूप से राशि की निकासी कर गबन करने के आरोप में विभागीय अधिसूचना सं0–783(9) दिनांक–08 08.2016 द्वारा निलंबित करते हुए निलंबन अवधि हेतु मुख्यालय क्षेत्रीय अपर निदेशक, पटना प्रमडल, पटना का कार्यालय निर्धारित किया गया ।

3. डा0 कुमार के विरूद्ध विभागीय राकल्प सं0–999(9) दिनाक–27.09.2016 द्वारा सरकारी कर्मियों के भविष्य निधि खाते से अनियमित रूप से राशि की निकासी कर गबन करने के आरोप में विभागीय कार्यवाही संचालित की गयी।

4. विभागीय सशोधित संकल्प सं0–1199(9) दिनांक–27.11.2024 द्वारा डा0 कुमार के सेवाकाल में संचालित विभागीय कार्यवाही को बिहार पेंशन नियमावली, 1950 के नियम–43(ख) के अधीन सम्परिवर्तित किया गया।

5. संचालन पदाधिकारी द्वारा समर्पित जॉच–प्रतिवेदन (अधिगम) में डॉ0 कुमार के विरूद्ध गठित आरोप को प्रमाणित होने का मंतव्य दिया गया। विभागीय पत्रांक–930(9) दिनांक–31 08.2018 द्वारा डा0 कुमार से द्वितीय कारण–पृच्छा की मॉग की गयी ।

6. डा0 कुमार द्वारा समर्पित प्रत्युत्तर में अंकित किया गया है कि श्री सुमनकान्त सिन्हा, लिपिक–सह–सदेशवाहक द्वारा फर्जी स्वीकृत्यादेश तैयार कर फर्जी विपत्र को ही ऑनलाईन के माध्यम से कोषागार को भेजा गया। सरकारी राशि की निकासी एवं संव्यवहार करने के संबध में डा0 कुमार को प्रशिक्षण नहीं दिया गया था। पूर्ववर्ती DDO द्वारा डा0 कुमार को User Id एवं Password नहीं दिया गया था। श्री सुमनकान्त सिन्हा पूर्व से ही लिपिक–सह–संदेशवाहक का कार्य कर रहें थे। उनके फर्जी हस्ताक्षर बैंक कर्मियो की सहभागिता से विपत्र में अंकित सरकारी कर्मी के खाते में राशि अंतरित नहीं कर व्यक्ति विशेष के खाते मे राशि को जमा किया गया। उनका सामान्य निधि खाते से राशि की निकासी कर लिया गया। पदाधिकारियों/कर्मियो के सामान्य भविष्य निधि खाते से अनियमित रूप से निकासी की गयी राशि को श्री सुमनकान्त सिन्हा एवं उनके परिजन के खाते में जमा किया गया ।

7. विषयगत मामले में दानापुर थाना काण्ड सं0–349/2015 दर्ज है, जिसमें विधि विभाग, बिहार के आदेश सं0–513/जे० दिनांक–07 11 2022 द्वारा अभियोजन स्वीकृत्यादेश निर्गत की गयी है।

8. अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा डॉ0 कुमार के विरूद्ध गठित आरोप पत्र, संचालन पदाधिकारी से प्राप्त जॉच–प्रतिवेदन एवं उनके प्रत्युत्तर की सम्यक् समीक्षा की गयी। समीक्षोपरान्त पाया गया कि डा0 कुमार द्वारा अधीनस्थ कर्मियों से बिना आवेदन प्राप्त किये भविष्य निधि खाते से अस्थायी अग्रिम निकासी हेतु स्वीकृत्यादेश निर्गत किया गया। CTMIS Application के माध्यम से राशि के संव्यवहार

24/01/25

(15)

करने में User ID एवं Password अत्यंत गोपनीय होता है। श्री सुमनकान्त सिन्हा, लिपिक के द्वारा User ID एवं Password का प्रयोग करने के तथ्य स्वीकारणीय योग्य नहीं है, क्योकि DDO के मोबाईल पर OTP भेजा जाता है। OTP के प्रविष्टि के उपरात ही विपत्र पारित करने की प्रक्रिया आगे बढती है। वित्तीय अनियमितता के उजागर के उपरांत सदेशवाहक एव आवटन पजी फटा पाया गया, जबकि यह अभिलेख डॉ0 कुमार के अभिरक्षा मे होनी चाहिए थी। बैक जमा पर्ची में डॉ0 कुमार का हस्ताक्षर होने के फलस्वरूप पारित विपत्र मे अंकित नाम से इतर खाते मे बैक द्वारा राशि को अतरित किया गया। महालेखाकार कार्यालय द्वारा पारित विपत्रो की सूची सबधित DDO को उपलब्ध करायी जाती है। इसके बावजूद उनके द्वारा आवंटन पंजी से मिलान नहीं किया गया। कुछ सेवानिवृत कर्मियों के सेवान्त लाभ का भुगतान उनके खाते में नही होकर श्री सिन्हा, लिपिक के खाते मे जमा हो जाता था। इसपर सेवानिवृत्त कर्मियों द्वारा हंगामा किये जाने पर श्री सिन्हा के खाते से राशि सेवानिवृत कर्मियो के खाते मे भेज दी जाती थी। डॉ0 कुमार द्वारा श्री सुमनकान्त सिन्हा के विरूद्ध कार्रवाई नही किया गया। इसकी सूचना वरीय पदाधिकारी को नहीं दिया गया।

9. फलत डॉ0 कुमार के विरूद्ध सामान्य भविष्य निधि के खाते से 15,00,000/– रू0 की निकासी एवं गबन करने के आरोप में अधिसूचना निर्गत की तिथि से 30% (तीस प्रतिशत) पेंशन की राशि स्थायी रूप से कटौती करने की शास्ति अधिरोपित करने का विनिश्चय किया गया।

10 विभागीय पत्रांक–373(9) दिनांक–16.05.2024 द्वारा उपर्युक्त अधिरोपित शास्ति प्रस्ताव पर बिहार लोक सेवा आयोग से सहमति की मॉग की गयी। आयोग के पत्राक–4826 दिनांक–06 03 2025 के द्वारा विभागीय प्रस्तावित शास्ति प्रस्ताव पर सहमति प्रदान की गयी।

11. अतएव आयोग से प्राप्त सहमति के आलोक मे डॉ0 चन्द्रदीप कुमार, तत्कालीन उपाधीक्षक–सह–प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र व अनुमण्डलीय अस्पताल, पालीगंज, पटना सम्प्रति सेवानिवृत्त के विरूद्ध अधीनस्थ पदाधिकारी एवं कर्मियो के खाते से अनियमित रूप से निकासी कर गबन करने के आरोप मे अधिसूचना निर्गत की तिथि से 30% (तीस प्रतिशत) पेंशन की राशि स्थायी रूप से जब्त करने की शास्ति अधिरोपित एवं ससूचित किया जाता है।

12. इसमें सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से
ह0/–
(उपेन्द्र राम)
सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांकः 9/आ0–01–42/2016(स्वा0) 309 (9) / **पटना, दिनांकः–** 26.3.25

प्रतिलिपिः–महालेखाकार (ले एवं ह0) बिहार पटना/प्रभारी वित्त (वै0 दा0 नि0 को0) विभाग, बिहार, पटना/जिला पदाधिकारी, पटना/कोषागार पदाधिकारी, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः–क्षेत्रीय अपर निदेशक, स्वास्थ्य सेवायें, पटना प्रमंडल, पटना/सिविल सर्जन, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक प्रेषित।

प्रतिलिपिः–माननीय मत्री स्वास्थ्य के आप्त सचिव/अपर मुख्य सचिव, स्वा0 विभाग के प्रधान आप्त सचिव/निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवाऐं, बिहार, पटना के निजी सहायक को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपिः–डॉ0 चन्द्रदीप कुमार, तत्कालीन उपाधीक्षक–सह–प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र व अनुमण्डलीय अस्पताल, पालीगंज, पटना सम्प्रति सेवानिवृत्त पत्राचार का पता–मोहल्ला–बामाली, पो0+थाना–हाजीपुर, जिला–वैशाली, पिनकोड– 844201 को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः–प्रशाखा पदाधिकारी 2, 3, 7, 8, 10, 17 एवं 18A को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः–आई0टी0 मैनेजर, स्वा0 विभाग को विभागीय वेबसाइट में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

24/03/2025
सरकार के अवर सचिव।